



कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र
उत्तर प्रदेश वन निगम
संगम प्लेस, चतुर्थ तल सिविल लाइन्स, प्रयागराज- 211001

दूरभाष 0532-2427536
मेल- rmail@uptc.in

पत्रांक 1677 / तेन्दू पत्ता अग्रिम बिक्री
सेवा में,

/दिनांक 5/11/2024

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश वन निगम,
दुद्धी/वाराणसी/झॉसी।

विषय-वर्ष 2024 सीजन में संग्रहित तेन्दू पत्ता लाटों व पूर्व वर्ष की अवशेष तेन्दू पत्ता लाटों की बिक्री हेतु दिनांक 12/13/14.11.2024 को आमंत्रित आनलाईन द्वितीय ई-निविदा की बिक्री सूची एवं शर्तों का प्रेषण।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्रांक-1670/तेन्दू पत्ता अग्रिम बिक्री, दिनांक 04.11.2024 महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 12/13/14.11.2024 को आमंत्रित वर्ष 2024 सीजन में संग्रहित तेन्दू पत्ता लाटों व पूर्व वर्ष की अवशेष तेन्दू पत्ता लाटों की बिक्री हेतु आन-लाईन द्वितीय ई-निविदा की बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तों एक प्रति में एतदसह संलग्नकर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा तेन्दूपत्ता की बिक्री सूची ई-निविदा सूचना एवं बिक्री शर्तों को उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी, (कम्प्यूटर) अनुभाग, उत्तर प्रदेश वन निगम को भेजा जा रहा है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक
प्रयागराज।

पत्रांक- 1677 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
- 2- अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
- 3- महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता/पूर्वी), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/प्रयागराज।

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक
प्रयागराज।

तेन्दू पत्ता की विक्रय सूची वर्ष-2024 सीजन
रेनुकूट लौगिंग प्रभाग की
वर्ष 2024 सीजन की सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	सेक्सन का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	R-A-29/24	मचबन्धवा	Machbandhwa	800	670.818	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
2	R-A-29A/24	मचबन्धवा	Machbandhwa	744	621.932	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
3	R-A-34/24	बैना	Baina	640	501.150	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
4	R-A-37/24	मजीठ	Majith	786	598.183	अशोक शुक्ला गोदाम दुद्धी
5	R-A-37A/24	मजीठ	Majith	551	419.337	अशोक शुक्ला गोदाम दुद्धी
6	R-A-39A/24	महुली-ब	Mahulee B	1000	787.913	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
7	R-A-41/24	जरहा पूर्वी ब	Jarha East -B	362	287.250	अशोक शुक्ला गोदाम दुद्धी
8	R-A-45A/24	नेमना	Nemna	847	664.524	अशोक शुक्ला गोदाम दुद्धी
9	R-A-45B/24	नेमना	Nemna	243	186.855	रमेश कुमार जायसवाल गोदाम दुद्धी
10	R-A-69/24	नीमियाडीह	Nimiyadih	1200	1022.400	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
11	R-A-69A/24	नीमियाडीह	Nimiyadih	1135	960.700	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
कुल 11 लाटे				8308	6721.062	

वर्षा से प्रभावित लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	सेक्सन का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	R-B 29/24	मचबन्धवा	Machbandhwa	8	7.600	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
2	R-B 34/24	बैना	Baina	6	4.500	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
3	R-B 69/24	नीमियाडीह	Nimiyadih	146	129.450	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
कुल लाटें 03				160	141.55	

सी-1 स्टॉक की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	सेक्सन का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	R-C 01/24-25	बभनी रेंज	Banhni Range	6	4.200	भानुमति दूबे गोदाम दुद्धी
2	R-C 02/24-25	जरहा रेंज	Jarha Range	4	3.000	अशोक शुक्ला गोदाम दुद्धी
कुल लाटें 02				10	7.200	
कुल लाटें 16		प्रभाग का कुल योग		8478	6869.812	

तेन्दू पत्ता की विक्रय सूची वर्ष-2024 सीजन
मिर्जापुर लौगिंग प्रभाग की
वर्ष 2024 सीजन की सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	सेक्सन का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	M-A-29/24	पुरना	Purna	32	23.705	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
2	M-A-34/24	खोराडीह	Khoradih	25	20.200	चुर्क गोदाम, सोनभद्र
02 लाटें		प्रभाग का कुल योग		57	43.905	
कुल 18 लाटें		प्रयागराज क्षेत्र का कुल योग		8535	6913.717	

वर्ष 2024 सीजन में कर्वी लौगिंग प्रभाग की तेन्दूपत्ता इकाईयों की बिक्री सूची

क्र० सं०	लाट संख्या	इकाई	UNIT	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा०बो०	मा०बो०	
1	K-A 6/24	बघौरा	Baghaura	179	143.300	अतर्रा गोदाम
2	K-A 16 (A)/24	दुगवां I	Dugawa I	874	620.780	अतर्रा गोदाम
3	K-A 27/24	भौरी	Bhauri	974	680.585	टी०पी०गुप्ता गोदाम
4	K-A 28 (A)/24	बगरेही I	Bagarehi I	898	602.120	टी०पी०गुप्ता गोदाम
5	K-A 28 (B)/24	बगरेही II	Bagarehi II	756	540.265	टी०पी०गुप्ता गोदाम
6	K-A 33 (A)/24	इटवा I	Etva I	1033	783.876	टी०पी०गुप्ता गोदाम
7	K-A 33 (B)/24	इटवा II	Etva II	1071	805.055	टी०पी०गुप्ता गोदाम
8	K-A 33 (C)/24	इटवा III	Etva III	1082	824.426	टी०पी०गुप्ता गोदाम
9	K-A 34 (B)/24	परदवाँ II	Pardnva II	104	81.325	अतर्रा गोदाम
10	K-A 35 (A)/24	गढवा I	Gadawa I	1007	739.613	सुलेमान गोदाम
11	K-A 35 (B)/24	गढवा II	Gadawa II	45	33.450	अतर्रा गोदाम
11 लाटें		प्रभाग का कुल योग-		8023	5854.795	

कर्वी लौगिंग प्रभाग की सी-1 स्टॉक की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	इकाई	UNIT	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा०बो०	मा०बोरा	
1	K-C 1/24	कर्वी	Karvi	6	-	कर्वी रेन्ज परिसर
2	K-C 2/24	मारकुण्डी I	Markundi I	1.5	-	मारकुण्डी रेन्ज परिसर
3	K-C 3/24	मारकुण्डी II	Markundi II	42	-	मारकुण्डी रेन्ज परिसर
	03 लाटें	कुल योग:-		49.5	-	

वर्ष 2024 सीजन में झांसी लौगिंग प्रभाग की तेन्दूपत्ता इकाईयों की बिक्री सूची

क्र० सं०	लाट संख्या	इकाई	UNIT	भण्डारित मात्रा		गोदाम का नाम
				वा०बो०	मा० बोरा	
1	LA 01/24	बार	BAR	423	309.350	गौना गोदाम
2	LA 02/24	जाखलौन	Jakhalaun	97	76.450	गौना गोदाम
3	LA 03/24	सैपुरा	Saipura	161	122.150	गौना गोदाम
4	LA 06/24	पाली	Rali	268	213.655	गौना गोदाम
5	LA 19/24	सौरई	Sorai	751	585.150	गौना गोदाम
6	LA 21/24	नीमखेड़ा	Neemkheda	414	363.130	गौना गोदाम
	06 लाटें	प्रभाग का कुल योग		2114	1669.885	
	कुल 20 लाटें	लखनऊ क्षेत्र का कुल योग		10186.50	7524.680	
	कुल 38 लाटें	प्रयागराज क्षेत्र एवं लखनऊ क्षेत्र का कुल योग		18721.50	14438.397	

मीरजापुर लौगिंग प्रभाग, मीरजापुर वर्ष 2023-24 सीजन की सी-1 स्टॉक की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	सेक्सन का नाम		भण्डारित की मात्रा		रेन्ज का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	M-C 05/23-24	सी-1 स्टॉक (सारनाथ डीयर पार्क)	C-1 Stock	25	0.000	सारनाथ डीयर पार्क
	01 लाट	कुल योग		25	0.000	

तेन्दू पत्ता की विक्रय सूची वर्ष-2020 सीजन
रेनुकूट लौगिंग प्रभाग की
वर्ष 2020 सीजन की वर्षा से प्रभावित की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्र० सं०	लाट संख्या	सेक्सन का नाम		भण्डारित की मात्रा		गोदाम का नाम
				वा० बोरा	मा० बोरा	
1	2	3	4	5	6	7
1	R-B 07/20	बभनी-1	Babhani-1	460	339.700	अन्जू जायसवाल गोदाम दुद्धी
कुल 01 लाटे		कुल योग		460	339.700	

Sanjay
क्षेत्री
उ० प्र०
प्रयाग

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
पत्रांक 1870 / तै०प० अग्रिम बिक्री
सेवा में

/ दिनांक- 4/11/2024

मे० आर०डी०,
एडवरटाइजिंग प्रा० लि०,
257, चक, जीरो रोड-प्रयागराज।

विषय- तेन्दू पत्ता बिक्री सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन।
महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना को निम्न लिखित समाचार पत्रों में दिनांक 05.11.2024 को कम से कम स्थान में (Size 6cm*7cm=42 Sq Cm में) केवल एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के उपरान्त विज्ञापन बिल सरकारी विभागों हेतु निर्धारित न्यूनतम दरों पर तैयार कर प्रकाशित सामग्री की प्रति सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें। -

1. दैनिक जागरण, प्रयागराज, वाराणसी एवं झाँसी संस्करण।
2. हिन्दुस्तान, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी एवं लखनऊ संस्करण।
3. दैनिक भास्कर, रायपुर एवं जबलपुर।
4. अमर उजाला, बरेली एवं मुरादाबाद।
5. दैनिक आज, पटना एवं राँची।
6. आजकल, कोलकाता।
7. टाईम्स आफ इंडिया, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, पटना, राँची एवं कोलकाता संस्करण।
8. दि हिन्दू दैनिक समाचार पत्र, हैदराबाद।



उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल,

सिविल लाइन्स, प्रयागराज

दूरभाष - +91532-2427536, ई-मेल-rmall@upfc.in

वर्ष 2024 में वन निगम द्वारा संग्रहित तेन्दूपत्ता की लाटों एवं पूर्व वर्षों की अवशेष लाटों की बिक्री हेतु ई-निविदा सूचना का सारांश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024 सीजन में वन निगम द्वारा संग्रहित तेन्दूपत्ता की लाटों एवं पूर्व वर्षों की अवशेष लाटों की बिक्री हेतु द्वितीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। आनलाईन द्वितीय ई-निविदा प्रारम्भ करने की तिथि 12.11.2024 को समय 11.00 AM से प्रारम्भ होकर आनलाईन द्वितीय ई-निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 14.11.2024 को 3.30 PM बजे तक केवल उ०प्र० वन निगम की वेबसाइट [www.upforestcorporation.co.in](http://upfctendupatta.in) एवं ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल <http://upfctendupatta.in> में आनलाईन ई-निविदा दी जा सकती हैं। जो अंतिम तिथि को सायंकाल 4.00 बजे खोली जायेगी। ई-निविदा हेतु वर्ष 2024 के लिये तेन्दूपत्ता के विनिर्माता/व्यापारी को उ०प्र० वन निगम के विक्रय प्रभाग, दुद्धी, वाराणसी एवं झाँसी कार्यालय में अथवा ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है। समस्त इच्छुक निविदाकारों को ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल [www.upforestcorporation.co.in](http://upfctendupatta.in) एवं ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल <http://upfctendupatta.in> पर दिये गये प्रक्रिया के अनुसार ई-निविदा में भाग लेने हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है।

निविदा हेतु निविदा सूचना, लाट सूची तथा अन्य परिशिष्टों सहित दिनांक 05.11.2024 को केवल उत्तर प्रदेश वन निगम, की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज

भवदीय,

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक
प्रयागराज

पत्रांक-1679 ते0प0 अग्रिम बिक्री / दिनांक- 4/11/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय के पत्रांक ते0प0-5383/तेन्दूपत्ता बिक्री 2024, दिनांक-25.10.2024 के क्रम में।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, प्रयागराज, मीरजापुर, कानपुर, बुन्देलखण्ड झाँसी व बरेली।
4. महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, विपणन/उत्पादन/पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/प्रयागराज।
6. वन संरक्षक, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झाँसी एवं चित्रकूट।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. जिलाधिकारी/पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, जौनपुर, रायबरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं ज्योतिबा फुले नगर।
10. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मीरजापुर, ओबरा, रेनुकूट, सोनभद्र, कैमूर वन्य जीव, भदोही, काशी वन्य जीव रामनगर-वाराणसी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झाँसी, ललितपुर व उरई (जालौन), रायबरेली, अमेठी।
11. समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, लौगिंग अधिकारी/विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज एवं झाँसी क्षेत्र।
12. प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीवाबाद (सहारनपुर)।
13. प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस निविदा सूचना को उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
14. तेन्दूपत्ता क्रेता गण को डाक से।
15. कार्यालय सूचना पट।
16. प्रभारी लेखाधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक
प्रयागराज



उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता की बिक्री हेतु आन-लाईन "तेन्दूपत्ता ई-टेंडर" की शर्तें

1- तेन्दूपत्ता का ग्रेड एवं "जहाँ भी है जैसे है" के तहत आन-लाईन बिक्री ।

(अ) वन निगम द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता को गोदामों में निम्नलिखित दो श्रेणियों में अलग-अलग भण्डारित किया गया है:-

1. सामान्य ग्रेड (ए):- ग्रेड-बी के अतिरिक्त अन्य समस्त पत्ता।
2. वर्षा से प्रभावित या पानी से खराब ग्रेड (बी):- वर्षा प्रभावित बोरों का ऐसा पत्ता जो भीग जाने के कारण मटमैला/काला हो गया है।

सामान्य ग्रेड का पत्ता गोदामों में इकाईवार एवं लाटवार तथा वर्षा से प्रभावित श्रेणी का पत्ता इकाईवार/सेक्शनवार एवं लाटवार भण्डारित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, लाट की बिक्री या निकासी "जहाँ भी है जैसे है" के तहत की जायेगी एवं वर्गीकरण के सम्बन्ध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। इच्छुक निविदादाता आन-लाईन ई-निविदा देने से पूर्व अथवा निविदा अवधि से पूर्व पत्ते का भली-भाँति निरीक्षण करके पत्ते की गुणवत्ता का आँकलन स्वयं करके ई-निविदा दें। पत्ते की गुणवत्ता या श्रेणी के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत बाद में मान्य या स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ब) शर्त संख्या 1(अ) के अनुसार लाट की बिक्री "जहाँ भी है जैसे है" के तहत होते हुए भी निगम को आवश्यकतानुसार लाट के तेन्दू पत्ता बोरों की पल्टाई, तौल एवं जाँच आदि करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसे "जहाँ भी है जैसे है" के शर्त का कोई उल्लंघन नहीं समझा जायेगा।

(स) गोदाम में बिक्री हुई लाट को यदि किसी परिस्थितिवश दूसरे गोदाम में स्थानान्तरण करना हो तो, वन निगम को ऐसा करने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना कम से कम दस (10) दिन पूर्व क्रेता को पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा दी जायेगी।

- 2- **छँटाई का प्रतिबन्ध-** लाट के बोरों की निकासी लगी हुई छल्ली में एक तरफ से दी जायेगी। निकासी के दौरान बोरा को काटकर पत्ता या बोरा छॉटने की अनुमति नहीं होगी। वह क्रेता जो लाट की निकासी छल्ली में से अपनी सुविधानुसार लेना चाहते हैं वह लाट का पूरा मूल्य एकमुश्त जमा करके ऐसा कर सकते हैं। परन्तु निकासी की अवधि इन विक्री शर्तों के अनुसार ही होगी।

3- ई-निविदा देने की विधि तथा तिथि

- (i) समस्त तेन्दू पत्ता क्रेताओं को अपना ई-निविदा में भाग लेने हेतु वन निगम के पोर्टल पर आन-लाईन पंजीकरण कराने हेतु अपना नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, पैनकार्ड संख्या जी0एस0टी0 संख्या, दूरभाष संख्या, ई-मेल एवं आधार संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित कर स्वयं सत्यापित प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- (ii) समस्त तेन्दू पत्ता क्रेताओं को "तेन्दूपत्ता ई-टेण्डर" पोर्टल पर रु 30,000/- (रिफण्डेबुल) की धनराशि आन-लाईन गेटवे के माध्यम से सम्बन्धित वन निगम के खाते में जमा कर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- (iii) ई-निविदा अपलोड करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों/फर्मों द्वारा यह उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा कि वह/वे किस हैसियत से निविदा प्रस्तुत कर रहा है। उदाहरणार्थ सम्बन्धित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबन्धक, संचालक अथवा सचिव के रूप में।
- (iv) समस्त पंजीकृत क्रेताओं को "तेन्दूपत्ता ई-टेण्डर" पोर्टल एवं क्रेताओं के स्वयं के पोर्टल के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट पर तेन्दूपत्ता की विक्रय सूची प्रदर्शित की जायेगी।
- (v) तेन्दूपत्ता की ई-निविदा द्वारा बिक्री हेतु आन-लाईन "तेन्दूपत्ता ई-टेण्डर" पर तेन्दूपत्ता क्रेताओं को आमंत्रित करने हेतु सूचना क्रेताओं के ई-पोर्टल एवं वन निगम की वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in के माध्यम से प्रचारित करायी जायेगी। समस्त क्रेताओं द्वारा किसी भी प्रभाग की किसी लाट की ई-निविदा आन-लाईन दी जा सकती है।
- (vi) उत्तर प्रदेश वन निगम के "तेन्दूपत्ता ई-टेण्डर" पोर्टल पर ई-निविदा निर्धारित तिथि से तीन दिनों तक क्रेता द्वारा ई-निविदा दी जा सकती है।

4- ई-निविदा दिये जाने की समयावधि :

- (अ) समस्त पंजीकृत क्रेताओं को आन-लाईन ई-निविदा सूचना में निर्धारित तिथि व समयावधि के अन्तर्गत ही ई-निविदा स्वीकार की जायेगी इसके पश्चात् स्वतः ई-निविदा स्वीकारित नहीं होगी।
- (ब) ई-निविदा के समयावधि तीन दिनों तक निर्धारित की गयी है। तेन्दूपत्ता ई-टेण्डर पर निविदा दाता प्रथम दिन प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ होकर तीसरे दिन 4.00 बजे तक लगातार बोली लगा सकता है।

- (स) यदि कोई निविदादाता एक ही लाट के लिए एक से अधिक ई-निविदा देता है तो उसके द्वारा दी गई केवल उच्चतम निविदा दर पर ही विचार किया जायेगा।
- (द) प्रत्येक निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह बिक्री-सूची को भली-भाँति देखकर लौगिंग प्रभाग का नाम लाट संख्या व वर्ष, इकाई का नाम एवं वास्तविक बोरों की संख्या का गहन रूप से परीक्षण करेगा।

5- निविदा के साथ बंधक राशि :

(अ) प्रत्येक लाट की ई-निविदा हेतु सामान्य ग्रेड के तेन्दू पत्ता की लाटों के लिए ₹0 236.00 (दो सौ छत्तीस मात्र) जी0एस0टी0 सहित प्रति वास्तविक बोरा की दर से तथा वर्षा से प्रभावित ग्रेड के तेन्दूपत्ता के लाटों के लिए ₹0 118.00 (एक सौ अठारह) जी0एस0टी0 सहित प्रति वास्तविक बोरा की दर से बंधक धनराशि देय होगी। इच्छुक निविदादाता अपनी सुविधानुसार ई-निविदा प्रारम्भ की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तेन्दू पत्ता ई-टेंडर पोर्टल पर आन-लाईन बंधक धनराशि जमा कर सकता है। इसके पश्चात् वह किसी भी विक्रय प्रभाग की किसी भी लाट के लिए ई-निविदा दे सकता है।

(ब) निविदादाता द्वारा निविदत्त मात्रा के 10 प्रतिशत बोरों की पूर्ण बंधक धनराशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा। आन-लाईन प्रतिस्पर्धात्मक अनिश्चितता के मध्य यदि किसी क्रेता द्वारा जितनी लाटों की ई-निविदा दी गयी है उसके अनुसार पूर्ण बंधक धनराशि आन-लाईन गेटवे (एन0ई0एफ0टी/आर0टी0जी0एस0/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यू0पी0आई0/आई0एम0पी0एस0) के माध्यम से जमा नहीं की गयी है, तो परस्पर हित में निविदादाता को निविदा अवधि में बंधक धनराशि को आन-लाईन गेटवे के माध्यम से तेन्दूपत्ता ई-निविदा पोर्टल पर बंधक धनराशि जमा करना होगा, जो कि तत्काल उसके ई-पोर्टल पर प्रदर्शित हो जायेगी। यदि अवशेष बंधक धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उस स्थिति में जमा बंधक धनराशि के समतुल्य ही निविदा विधिमान्य मानी जायेगी। ऐसी दशा में वन निगम को अधिकार होगा कि क्रेता द्वारा दिये गये समस्त लाटों की निविदा में से किसी भी लाट में बंधक धनराशि का समायोजन कर लें।

- 6- निविदा प्रपत्र में विवरण देना ई-निविदा में निर्धारित स्थान पर लौगिंग प्रभाग का नाम, लाट संख्या, इकाई/सेक्शन का नाम, मात्रा (वास्तविक बोरा में) ड्राप-डाउन के माध्यम से प्राप्त होगी तथा ई-निविदा में दर रूपया प्रति किलोग्राम (अंको व शब्दों में) का स्पष्ट उल्लेख करते हुए वांछित स्थान पर निविदादाता को अंकित करना होगा। यदि ई-निविदा को भरते समय कोई भी संशोधन हो तो "सेव" करने की प्रक्रिया से पूर्व ही किया जाना होगा। यदि प्रस्तावित ई-निविदा दर अंकों एवं शब्दों में भिन्न-भिन्न हो तो उच्चतम दर ही वैध दर मानी जायेगी।

7- निविदा स्वीकृति की सूचना:- ई-निविदा स्वीकृति की सूचना सफल निविदादाता के पंजीकृत निविदादाता के पोर्टल पर एवं उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in पर उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त संबंधित उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा ई-मेल/एस0एम0एस0/वाट्सअप द्वारा निविदा खुलने की तिथि से 40 दिन के अन्दर दे दी जायेगी। उक्त स्वीकृति की सूचना यदि सफल निविदादाताओं को ई-निविदा की तिथि से 40 दिन के अन्दर नहीं प्राप्त होती है तो उन्हें चाहिए कि वे संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के कार्यालय से संपर्क कर इस संबंध में जानकारी प्राप्त करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो स्वीकृति/अस्वीकृति अथवा अन्य जैसी भी स्थिति हो, की सूचना उन्हें प्राप्त हुई मानी जायेगी, परन्तु किन्ही कारणवश, जो वन निगम के नियंत्रण से परे हो, वन निगम स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लेने में अपने को असमर्थ पाये तो ऐसी परिस्थिति में 40 दिन की अवधि में वह अवधि भी जुड़ जायेगी, जितनी अवधि तक वन निगम उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत स्वीकृति/अस्वीकृति या किसी भी प्रकार की सूचना देने में असमर्थ रहा।

8- एक ही दर के लिये नीलाम/लाटरी पद्धति:- यदि एक ही लाट पर दो या उससे अधिक निविदादाताओं की दरें उच्चतम एवं बराबर प्राप्त होती हैं, तो ऐसी दशा में उस लाट का निस्तारण लाटरी पद्धति के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा। जिसमें महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

9- निविदा की स्वीकृति:- सशर्त ई-निविदा को स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश वन निगम को होगा।

10- उच्चतम दर की ई-निविदा स्वीकार करना आवश्यक नहीं है; बिना कारण बताये किसी भी ई-निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0वन निगम को होगा।

11. जमानत व अनुबन्ध-

(क) सफल निविदादाता को ई-निविदा स्वीकृति की सूचना एस0एम0एस0, वाट्सअप तथा ई-मेल के अतिरिक्त उसके ई-पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी। सूचना प्राप्त होने की तिथि के 07 दिनों के अन्दर स्वीकृत लाट के अनुमानित विक्रय मूल्य का 20 (बीस) प्रतिशत बतौर जमानत एवं उस पर देय जी0एस0टी0 सहित धनराशि को आन-लाईन गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। वर्षा से प्रभावित श्रेणी के तेन्दूपत्ता की लाटों के लिये जमानत की धनराशि लाट के अनुमानित विक्रय मूल्य का 30 (तीस) प्रतिशत एवं उस पर देय जी0एस0टी0 सहित धनराशि आन-लाईन गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। इसके साथ ही क्रेता को प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के साथ अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक लाट की देय जमानत धनराशि आन-लाईन गेटवे के माध्यम से जमा न होने की दशा में लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं उपरोक्त नियम संख्या-06 (अ) के अन्तर्गत जमा बंधक धनराशि स्वतः जब्त समझी जायेगी जिसकी कोई सूचना निविदादाता को देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा। ऐसे निविदादाता को काली सूची में दर्ज करने पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसी लाट की पुनः बिक्री करने के लिये वन निगम स्वतंत्र होगा।

(ब) किसी अन्य व्यक्ति, फर्म कम्पनी या अविभाजित हिन्दू (कुटुम्ब) की ओर से ई-निविदा भरने वाले व्यक्ति को अनुबन्ध करने के समय मुख्तारनामा या उसके पक्ष में सम्यक रूप से निष्पादित डीड या अन्य वैधानिक विलेख जिसमें उसे यह शक्ति दी गयी हो मूल रूप में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में उसके पक्ष में की गयी बिक्री को निरस्त करके जमा बन्धक धनराशि जब्त की जा सकती है। निविदादाता को अपने स्थायी पते के प्रमाण हेतु आधार/अन्य मान्य अभिलेख की प्रति अनुबन्ध के समय देना अनिवार्य होगा।

(स) यदि कोई क्रेता अपने लाट का हस्तान्तरण किसी दूसरे क्रेता के नाम पर करना चाहता है तो ऐसा हस्तान्तरण दूसरे क्रेता द्वारा अनुमानित विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत (10%) अतिरिक्त जमानत तथा हस्तान्तरण शुल्क के रूप में **रुपया दस हजार (रु. 10,000/-)** जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा लिखित आदेश से किया जा सकता है। उक्त धनराशि पर जी०एस०टी० भी नियमानुसार देय होगा।

12-जमानत एवं किश्त हेतु अनुमानित विक्रय मूल्य का आगणन:

जमानत तथा किश्तों का निर्धारण तथा अनुबन्ध की कार्यवाही प्रति वास्तविक बोरा 30 किलो ग्राम वजन मानते हुए समय से पूरी की जायेगी परन्तु शत प्रतिशत वजन के पश्चात् किश्त की राशि का आकलन वास्तविक वजन के आधार पर करते हुए जमानत धनराशि में आवश्यकतानुसार धनराशि जमा कराकर/जमानत की अतिरिक्त धनराशि लाट के प्रथम किश्त में समायोजन किया जायेगा।

13- विक्रय मूल्य का भुगतान एवं माल के निकासी/किश्त/विक्रय मूल्य का भुगतान तथा निकासी की मात्रा - बिक्रित तेन्दूपत्ता की देय जमानत जमा करने एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के स्तर से विक्रय मूल्य की किश्त जमा करने एवं लाट से तेन्दू पत्ता निकासी हेतु आदेश जारी किया जायेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा जारी किये गये निकासी आदेश में दर्शित देय धनराशि का भुगतान एवं लाट से तेन्दू पत्ता के निकासी क्रेता को निम्नलिखित प्रकार से करनी होगी।

(अ) विक्रय मूल्य का भुगतान- निविदत्त तेन्दूपत्ते का अनुमानित विक्रय मूल्य के भुगतान हेतु किश्तें निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी:-

1. जून/जुलाई/अगस्त में बिक्री की लाटों के लिये:-

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान चार (4) बराबर किश्तों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किश्त बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41 वें) दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किश्तों में करना होगा। प्रथम किश्त इक्तालीसवें (41 वें) दिन तथा दूसरी किश्त तीस (30) दिन के अन्तराल पर देय होगी।

2. सितम्बर/अक्टूबर में बिक्री की लाटों के लिए:-

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान तीन (3) बराबर किश्तों में करना होगा, जो तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किश्त बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41वें) दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किश्तों में करना होगा। पहली किश्त इक्तालीसवें (41वें) दिन तथा दूसरी किश्त तीस (30) दिनों के अन्तराल पर देय होगी।

3. नवम्बर/दिसम्बर एवं उसके बाद बिक्री की लाटों के लिए:-

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो (2) बराबर किश्तों में करना होगा, जो तीस (30) दिन के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किश्त बिक्री की स्वीकृति की तिथि से इक्तालीसवें (41वें) दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान एक (1) किश्त में करना होगा। प्रथम किश्त इक्तालीसवें (41वें) दिन तथा दूसरी किश्त तीस (30) दिन के अन्तराल पर देय होगी।

(नोट:- यदि अन्तिम किश्त जमा करके निकासी करते समय विक्रय मूल्य अनुमानित विक्रय मूल्य से अधिक होता है, तो अन्तर की धनराशि जमा करने के बाद ही क्रेता को निकासी दी जायेगी। यदि अन्तिम निकासी में विक्रय मूल्य अनुमानित मूल्य से कम होता है तो ऐसी अधिक जमा धनराशि क्रेता के प्रार्थना पत्र देने पर उन्हें वापस किया जायेगा।)

4. यदि क्रेता द्वारा क्रय की गई लाट/लाटों का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, प्रथम किश्त की देय तिथि तक जमा किया जाता है, तो उसे सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की धनराशि पर एक प्रतिशत (1%) की छूट दी जायेगी।

(ब) किसी भी समय जमा किश्त की धनराशि (जमानत को छोड़कर) से अधिक मूल्य के माल की निकासी नहीं दी जायेगी। यदि कोई किश्त जमा है तो इसके विरुद्ध निकासी, अगली किश्त के देय तिथि से पूर्व तक ही क्रेता द्वारा ली जा सकती है, अर्थात् क्रेता द्वारा निर्धारित किश्त की धनराशि जमा करने के उपरान्त यदि अगली किश्त देय हो जाती है तो पूर्व में जमा किश्त की धनराशि के विरुद्ध तब तक कोई निकासी नहीं दी जायेगी, जब तक देय किश्त क्रेता द्वारा जमा न कर दी जाय। अन्तिम देय किश्त की तिथि से साठ (60) दिन के अन्दर सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी, परन्तु मार्च से जून के मध्य तीस (30) दिन के अन्दर ही सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी।

(स) यदि क्रेता निर्धारित किश्त से अधिक धनराशि जमा कर अधिक जमा धनराशि के अनुरूप निकासी लेना चाहता है तो उसे इस प्रतिबन्ध के साथ निकासी दी जा सकेगी कि उस अतिरिक्त धनराशि का समायोजन उक्त लाट की अन्तिम देय किश्त में किया जायेगा और इस प्रकार अतिरिक्त जमा धनराशि के अनुरूप निकासी आगामी निर्धारित किश्त की तिथि से पूर्व ही करनी आवश्यक होगी।

(द) क्रेता द्वारा निर्धारित किश्त जमा करने के उपरान्त (अन्तिम किश्त छोड़कर) अगली किश्त की देय तिथि से पूर्व तेन्दू पत्ता की निकासी लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा निकासी की देय अन्तिम तिथि से निकासी तक वास्तविक गोदाम किराया जो भी देय हो, प्रतिमाह लिया जायेगा। माह के अंश को उक्त गणना के लिये पूर्ण माह माना जायेगा। यदि 31 मार्च तक निकासी नहीं ली जाती है तो छः (06) पैसा प्रति सौ रुपये प्रति दिन की दर से प्लाट रेंट लेते हुए अधिकतम तीस (30) दिनों की मियाद वृद्धि की अनुमति सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी।

14- शून्य काल-- यदि वन निगम किन्हीं कारणों से जो उसके नियंत्रण से परे हो, अधिकतम साठ (60) दिन तक लाट की निकासी देने में असमर्थ होता है तो जितनी अवधि तक निगम अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत निकासी देने में असमर्थ रहा उतनी अवधि को शून्य काल मानते हुए क्रेता को किश्त जमा करने एवं निकासी हेतु मियाद वृद्धि दी जायेगी। परन्तु इस प्रकार के शून्य काल के कारण क्रेता को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी एवं न ही बिक्री संविदा निरस्त होने योग्य होगी। जिस अवधि के लिये शून्य काल घोषित किया जायेगा उतने ही दिनों से निकासी की अवधि तथा अगली किश्तों की देयता की अवधि भी बढ़ जायेगी, परन्तु किसी भी हालत में बिना धनराशि जमा किये गये निकासी नहीं की जायेगी।

15- समय से किश्त न जमा करने पर विलम्ब शुल्क, बिक्री का निरस्तीकरण तथा क्रेता का नाम काली सूची में अंकित किया जाना :

(अ) यदि शर्त संख्या-13 के अनुसार निर्धारित किश्त की देय तिथि तक कोई क्रेता किश्त की धनराशि जमा नहीं करता है तो किश्त की देय तिथि से सात (07) दिन के अन्दर बिना कोई विलम्ब शुल्क दिये क्रेता किश्त आन-लाईन गेटवे के माध्यम से जमा कर सकता है, परन्तु यदि क्रेता किश्त की देय तिथि से सात (07) दिन के अन्दर भी किश्त जमा नहीं करता है और उसे बाद की तिथि से जमा करना चाहता है तो उसे इस आशय का लिखित आवेदन पत्र कारण दर्शाते हुये किश्त की देय तिथि से पन्द्रह (15) दिन के अन्दर प्रभागीय कार्यालय में देना होगा। ऐसे लिखित आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में रुपये एक सौ (रु. 100/-) मात्र तथा उस पर देय जी0एस0टी0 का भुगतान सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के खाते में आन-लाईन पैमेण्ट गेटवे के माध्यम से जमा करके चालान रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन शुल्क के उसके आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और यह समझा जायेगा कि उसने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है।

क्रेता द्वारा उपर्युक्त विधि से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर विचार करते सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा छः (06) पैसे प्रति सौ रुपये प्रतिदिन की से विलम्ब शुल्क लेते हुये किश्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक अधिकतम तीस (30) दिन की समय सीमा तक मियाद वृद्धि दी जा सकती है। इसके उपरान्त अगले तीस (30) दिन तक पूर्व निर्धारित दर पर मियाद वृद्धि देने का अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को होगा। इसके पश्चात् विशेष परिस्थितियों में विलम्ब शुल्क सहित मियाद वृद्धि देने का अधिकार महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता), उ० प्र० वन निगम लखनऊ को होगा।

(ब) शर्त सं०-15 (अ) के अनुसार यदि क्रेता किसी किश्त की देय तिथि तक किश्त जमा नहीं करता है या निर्धारित विधि के अनुसार बढ़ाई गई समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित किश्त जमा नहीं करता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा उसका नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। वन निगम ऐसे लाटों को पुनः बेचने के लिये स्वतंत्र होगा। क्रेता को उसकी लाट की बिक्री निरस्त होने की कोई सूचना देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा।

(स) शर्त सं०-15 (ब) के अनुसार यदि किसी लाट की बिक्री निरस्त कर उसकी पुनः बिक्री की जाती है तो बिक्री के उपरान्त कम मूल्य प्राप्त होने पर अन्तर की धनराशि तथा उस पर देय जी०एस०टी० की धनराशि की वसूली हेतु प्रथम क्रेता की जब्त की गयी जमानत की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् अवशेष धनराशि का समायोजन उक्त क्रेता की निगम में जमा वापसी योग्य अन्य कोई धनराशि यदि हो, से की जायेगी।

(द) यदि शर्त संख्या- 15 (स) में उल्लिखित प्रक्रिया के उपरान्त भी निगम को कम प्राप्त हो रहे मूल्य की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो, ऐसी अवशेष धनराशि की वसूली जी०एस०टी० सहित क्रेता से भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी।

- 16- निकासी की अवधि वृद्धि एवं गोदाम किराया - यदि कोई क्रेता लाट की सम्पूर्ण देय धनराशि जमा कर देता है परन्तु शर्त -13 (ब) के अनुसार निर्धारित अवधि में लाट के सम्पूर्ण माल की निकासी नहीं ले पाता है तो रुपये दो (रु. 2/-) मात्र प्रति वास्तविक बोरा प्रति माह की दर से गोदाम किराया लेकर निकासी हेतु अधिकतम तीस (30) दिन की अवधि विस्तार सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा दिया जा सकता है। माह के अंश को गणना में पूरा माह माना जायेगा। उक्त के उपरान्त अगले तीस (30) दिन तक सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को तथा इससे अधिक अवधि विस्तार का अधिकार महाप्रबन्धक, (तेन्दूपत्ता) को होगा। तत्पश्चात् लाट की बिक्री हेतु किया गया अनुबन्ध स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं लाट में जमा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य जब्त कर लिया जायेगा। क्रेता द्वारा प्राप्त की गयी निकासी की समय वृद्धि में यदि गोदाम में कोई दुर्घटना अथवा क्षति होती है तो उसका उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा।

- करते
- 17- शर्त संख्या-15 तथा 16 में निर्धारित विलम्ब शुल्क तथा गोदाम किराया की दरों को प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, कम करने का अधिकार उन्हें प्रतिनिधायित अधिकारों की सीमान्तर्गत नियमानुसार होगा।
- 18- जमानत का समायोजन - जमानत की धनराशि का समायोजन यदि क्रेता के विरुद्ध कोई अन्य बकाया न हो तो लाट की अन्तिम किश्त के विरुद्ध किया जा सकता है।
- 19- निकासी का समय - क्रेता को माल की निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त तक दी जायेगी।
- 20- धनराशि का भुगतान की प्रक्रिया: समस्त विक्रय मूल्य एवं करों का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के पक्ष में आन-लाईन गेटवे के माध्यम से आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 / क्रेडिटकार्ड / डेबिटकार्ड / नेट-बैंकिंग / यू0पी0आई 0 / आई0एम0पी0एस0 के माध्यम से करना होगा।
- 21- संयुक्त रूप से विभिन्न लाटों के लिये धनराशि जमा करते समय लाटों का विवरण दिया जाना यदि किसी क्रेता द्वारा किसी एक प्रभाग में कई लाटें एक साथ क्रय की गयी हों तथा उसके द्वारा किश्तों की धनराशि संयुक्त रूप से जमा की जाती है और विभिन्न लाटों में उसके समायोजन का विवरण नहीं दिया जाता है तो, उसके द्वारा जमा धनराशि का समायोजन गोदाम अधिकारी अपने विवेकानुसार क्रेता द्वारा क्रय की गयी लाटों के किश्तों के विरुद्ध करेंगे एवं उसका विवरण धन प्राप्ति रसीद में लाटवार अंकित कर दिया जायेगा। अतः अपने हित में क्रेता धनराशि जमा करते समय उसके विभिन्न लाटों में समायोजन के सम्बन्ध में लिखित विवरण गोदाम अधिकारी को प्रस्तुत करके धन प्राप्ति रसीद में अंकित करवा लें। कोई भी गोदाम अधिकारी स्वयं अपने गोदाम में क्रेता की जमा धनराशि बिना प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक की पूर्व लिखित अनुमति के किसी दूसरे गोदाम हेतु हस्तान्तरित नहीं करेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पूर्व लिखित अनुमति के पश्चात् गोदाम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जिस क्रेता की धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है उस क्रेता का कोई बकाया तथा उसके द्वारा क्रय की गयी लाट की कोई किश्त हस्तान्तरण के समय बकाया नहीं है एवं धनराशि हस्तान्तरण की प्रविष्टि लाट लेजर में कर ली गयी है।

22- कर भार -

(अ) आयकर- भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार तेन्दू पत्ता की बिक्री पर नियमानुसार क्रेता से आयकर की वसूली की जायेगी।

(ब) शर्त सं0 22 (अ) में वर्णित आयकर के अलावा तेन्दू पत्ता की बिक्री पर मण्डी शुल्क, जो वर्तमान में 1.5 प्रतिशत अथवा यथा संशोधित जैसी भी स्थिति हो, की दर से देय होगी, की वसूली क्रेता से पृथक से की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कर यदि शासन द्वारा लगाया जाता है तो उसकी भी वसूली सम्बन्धित क्रेता से की जायेगी।

(स) वर्तमान में प्रचलित जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) की निर्धारित दरों पर वसूली क्रेता से की जायेगी।

- 23- **नियमों का पालन** - यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में तेन्दू पत्ता व्यापार, उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त तेन्दू पत्ता एक वनोपज होने के कारण भारतीय वन अधिनियम 1927 भी इस पर लागू होता है। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत निकासी तथा तेन्दू पत्ता के परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने एवं सुसंगत नियमों का पालन करने का दायित्व क्रेता का होगा।
- 24- **विविध** - शर्त संख्या 1, पत्तों के ग्रेड से सम्बन्धित शिकायत के अतिरिक्त यदि अन्य किसी बात पर क्रेता द्वारा शिकायत की जाती है तथा लाट की जाँच हेतु आवेदन किया जाता है, तो ऐसे आवेदन पर की जाने वाली जाँच के लिये रुपये पाँच (रु. 5/-) प्रति वास्तविक बोरा की दर से देय (जी०एस०टी० अतिरिक्त) की दर से क्रेता को अग्रिम रूप से जमा करना होगा। यह धनराशि वन निगम को आन-लाईन गेटवे के माध्यम से करके प्राप्ति रसीद की प्रति जो कि सम्बन्धित प्रभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। उक्त धनराशि के बिना क्रेता के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा कोई आवेदन पत्र दिया ही नहीं गया है। जाँच के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय यदि क्रेता के पक्ष में है तो उस स्थिति में ऐसे निर्णय के पन्द्रह (15) दिन के अन्दर उक्त धनराशि क्रेता को वापस कर दी जायेगी तथा शिकायत सही होने की सीमा तक विवादित बोरों को अलग कर लाट का मूल्य तदनुसार संशोधित किया जायेगा परन्तु शिकायत सही न पायी जाने की दशा में क्रेता उक्त धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। शिकायत एवं जाँच प्रक्रिया से किश्त जमा करने की तिथियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। *जाँच प्रक्रिया में होने वाले व्यय को क्रेता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।*
- 25- इस बिक्री से सम्बन्धित किसी भी लाट के सम्बन्ध में न्यायिक वाद, केवल उसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उक्त लाट से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक का कार्यालय आता है।
- 26- किसी भी समय लाट का अनुबन्ध होने के बाद भी, यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित क्रेता/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा वा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- 27- राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकेदारी में प्रतिभाग करते हैं तो उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि उपर्युक्त निविदा के स्वीकृत होने के बाद भी यह तथ्य संज्ञान में आता है, तो ऐसी दशा में सम्बन्धित क्रेता की स्वीकृत लाटों को निरस्त कर दिया जायेगा एवं बन्धक धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 28- **(आर्बिट्रेशन)** - शर्तों के पालन सम्बन्धी विवाद में महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता) उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) होंगे, जिनका निर्णय अन्तिम व उभय पक्षों को मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश वन निगम